27
3-2-2020

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी० डि०), मुरादाबाद।

ONR No- UPMO-05-0003132-2019

मूलवाद सं० - 164/2019

मैटपल इन्फ्रा आदि

बनाम

ए-वन होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदि,

नकल- आदेश दि० - 28.01.2020

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग ● ... मुरादाबाद

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

1/2/10

27
3-2-2020

...धना पत्र संख्या व दिनांक..........
नोटिस का दिनांक.......... 0 3 FEB 2020
नकल देने का दिनांक.......... 0 3 FEB 2020
जारी करने वाले के हस्ताक्षर..........

सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद।

मूलवाद सं0—164/2019

सी0एन0आर0 सं0—यू0पी0एम0ओ0—05—000313/2019

मैप्पल इन्फा बनाम ए—वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड आदि

28.01.2020

पत्रावली पेश हुई।

वाद पुकारा गया। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवाई समझौता 21क नियत है।

प्रस्तुत मूलवाद सं0—164/2019 मैप्पल इन्फा बनाम ए—वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड आदि में वादी मैप्पल इन्फा द्वारा प्रार्थनापत्र 21क के माध्यम से कथन किया गया है कि उपरोक्त पक्षगण के मध्य समझौता हो गया है। अतः प्रार्थना है कि वाद समझौतानामा की शर्तों के अनुरूप तय करते हुये समझौतानामा को डिक्री का भाग बनाये जाने की कृपा की जाये।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा कागज सं0—21क इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य चंद मौअज्जि अराखास व रिश्तेदारों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है। अब वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कोई निजा किसी तरह की शेष नहीं रही है। समझौतानामा के जरिये शरायत तय पायी गयी हैं, जिसके सभी पक्षगण वादी व प्रतिवादीगण पाबंद हैं। वादपत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट—क उल्लिखित विवरण युक्त सम्पत्ति, खसरा सं0—315 रकबई 0.008, खसरा सं0—317 रकबई 0.206, खसरा सं0—461 रकबई 0.119, खसरा सं0—473 रकबई 0.270, खसरा सं0—495 रकबई, 0.229 व खसरा सं0—466 रकबई 0.107 है0 कुल 0.939 है0 स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामी प्रतिवादी सं0—1 ए—वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड वर्तमान कार्यालय पंडित नंगला बाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद एवं पंजीकृत कार्यालय बी—45, अब्दुल फजल एन्कलेब पार्ट द्वितीय टोकर सं0—7 शाहीन बाग, जामिया नगर ओखला नई दिल्ली के स्थान पर अनुबंध/पार्टनरशिप डीड दिनांक 29.03.2017 से वादी फर्म मैप्पल इन्फा कार्यालय स्थित पंडिल नंगला बाईपास, सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर मालिक व काबिज हैं तथा संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त गाटा संख्याओं में ए—वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड के स्थान पर मैप्पल इन्फा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर का नाम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादपत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट—ख में उल्लिखित विवरण युक्त सम्पत्ति खसरा सं0—460 रकबई 0.243 है0, खसरा सं0—471 रकबई 0.023 है0, खसरा सं0—474 रकबई 0.251 है0, खसरा सं0—475 रकबई 0.174, खसरा सं0—476 रकबई 0.215, खसरा सं0— 477 रकबई 0.010, खसरा सं0—483 रकबई रकबई 0.003, खसरा सं0—490 रकबई 0.002, खसरा सं0—467 रकबई 0.053, खसरा सं0— 491 रकबई 0.052 है0 कुल 1.026 है0 स्थित ग्राम हरथल एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामी प्रतिवादी सं0—2 मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड वर्तमान कार्यालय पंडित नंगला बाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद एवं पंजीकृत कार्यालय ई—37 ग्राउण्ड फ्लोर शाहीन बाग अब्दुल फजल एन्कलेब पार्ट—2 जामिया नगर ओखला नई दिल्ली द्वारा निदेशक मोहम्मद उमर फारूक एवं अहमद जकरिया के स्थान पर अनुबंध/पार्टनरशिप डीड दिनांक 29.03.2017 से वादी फर्म मैप्पल इन्फा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर मालिक व काबिज

हैं तथा सबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त गाटा संख्याओं में मरकरी होम्स प्राईवेट लि0 के स्थान पर मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर का नाम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादपत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट–ग उल्लिखित विवरण युक्त सम्पत्ति खसरा सं0–460 रकबई 0.101, खसरा सं0–461 रकबई 0.243, खसरा सं0–464 रकबई 0.046, खसरा सं0–465 रकबई 0.239, खसरा सं0–491 रकबई 0.158, खसरा सं0–494 रकबई 0.040 है0, कुल 0.827 है0 स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामी प्रतिवादी स0–3 विकास मेडिकोज प्रा0 लि0 कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा निदेशक खालिद मसूद एवं मोहम्मद उमर फारूक के स्थान पर अनुबंध दिनांक 29.03.2017 से वादी फर्म मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर मालिक व काबिज हैं तथा संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त गाटा संख्याओं में विकास मेडिकोज प्राईवेट लि0 के स्थान पर मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर का नाम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैप्पल इन्फ्रा वादी सं0–1 को वादपत्र में वर्णित परिशिष्ट–क, ख,ग उल्लिखित सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी रहेगी और उसे प्रश्नगत सम्पत्तियों की बाबत समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। वह जैसे चाहे प्रश्नगत सम्पत्तियों का उपयोग व उपभोग करे एवं विक्रय आदि करे तथा प्रश्नगत सम्पत्तियों के संबंध में किसी भी सरकारी व गैर सरकारी वित्तीय संस्था बैंक आदि में बंधक कर ऋण आदि प्राप्त करें। मैप्पल इन्फ्रा एवं प्रतिवादीगण 1,2,3, व 4 अनुबंध/पार्टनरशिप डीड दिनांक 29.03.2017 के अनुसार सम्पत्तियों के संबंध में विक्रय आदि करने के पश्चात वर्णित लाभांश अनुसार अपने–अपने अंश की धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। खर्चा मुकदमा वादीगण व प्रतिवादीगण अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। अतः प्रार्थना है कि उक्त वाद बरूये समझौता डिक्री फरमाया जाये और समझौतानामें को डिक्री का भाग बनाया जाये।

प्रस्तुत मूलवाद में पक्षकारों द्वारा समझौतानामा 21क दाखिल किया गया है। वादी मैप्पल इन्फ्रा द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर की शिनाख्त श्री सर्वेश कुमार एडवोकेट द्वारा तथा प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं0–1 ए–वन होम्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक खालिद मसूद की शिनाख्त श्री दीपांक कुमार एडवोकेट, प्रतिवादी सं0–2 मरकरी होम्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक, मोहम्मद उमर फारूक, प्रतिवादी सं0–3 विकास मेडिकोज प्रा0लि0 द्वारा मोहम्मद उमर फारूक, प्रतिवादी सं0–4 इंडिया मर्चेनडाइजिंग कारपोरेशन लि0 द्वारा अहमद जकरिया की शिनाख्त सीमा सिक्का एडवोकेट द्वारा की गयी है। समझौतानामा कागज सं0–21क पक्षकारों द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2019 को दाखिल किया गया था। समझौतानामा 21क को पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया था। पक्षकारों द्वारा समझौतानामा को तस्दीक किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2019 को उक्त समझौतानामा को सत्यापित किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर सूची 56ग से दाखिल प्रपत्रों से यह विदित होता है कि वादग्रस्त गाटा संख्याएं आवासी व अकृषिक घोषित की जा चुकी हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के अंत में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में घोषणात्मक आज्ञप्ति तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया। समझौतापत्र के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य चंद

मौअज्जि असखांस व रिश्तेदारों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है। अब वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कोई निजा किसी तरह की शेष नहीं रही है। समझौतानामा के जरिये शरायत तय पायी गयी हैं, जिसके सभी पक्षगण वादी व प्रतिवादीगण पाबंद हैं। वादपत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट–क उल्लिखित विवरण युक्त सम्पत्ति, खसरा सं0–315 रकबई 0.008, खसरा सं0–317 रकबई 0.206, खसरा सं0–461 रकबई 0.119, खसरा सं0–473 रकबई 0.270, खसरा सं0–495 रकबई, 0.229 व खसरा सं0–466 रकबई 0.107 है0 कुल 0.939 है0 स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामी प्रतिवादी सं0–1 ए–वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड वर्तमान कार्यालय पंडित नंगला बाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद एवं पंजीकृत कार्यालय बी–45, अब्दुल फजल एन्कलेव पार्ट द्वितीय टोकर सं0–7 शाहीन बाग, जामिया नगर ओखला नई दिल्ली के स्थान पर अनुबंध/पार्टनरशिप डीड दिनांक 29.03.2017 से वादी फर्म मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडिल नंगला बाईपास, सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर मालिक व काबिज हैं तथा संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त गाटा संख्याओं में ए–वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड के स्थान पर मैप्पल इन्फ्रा कार्यात्य स्थित पंडित नंगला बाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर का नाम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादपत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट–ख में उल्लिखित विवरण युक्त सम्पत्ति खसरा सं0–460 रकबई 0.243 है0, खसरा सं0–471 रकबई 0.023 है0, खसरा सं0–474 रकबई 0.251 है0, खसरा सं0–475 रकबई 0.174, खसरा सं0–476 रकबई 0. 215, खसरा सं0– 477 रकबई 0.010, खसरा सं0–483 रकबई रकबई 0.003, खसरा सं0–490 रकबई 0.002, खसरा सं0–467 रकबई 0.053, खसरा सं0– 491 रकबई 0.052 है0 कुल 1.026 है0 स्थित ग्राम हरथल एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामी प्रतिवादी सं0–2 मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड वर्तमान कार्यालय पंडित नंगला बाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद एवं पंजीकृत कार्यालय ई–37 ग्राउण्ड फ्लोर शाहीन बाग अब्दुल फजल एन्कलेव पार्ट–2 जामिया नगर ओखला नई दिल्ली द्वारा निदेशक मोहम्मद उमर फारूक एवं अहमद जकरिया के स्थान पर अनुबंध/पार्टनरशिप डीड दिनांक 29.03.2017 से वादी फर्म मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर मालिक व काबिज हैं तथा संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त गाटा संख्याओं में मरकरी होम्स प्राईवेट लि0 के स्थान पर मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर का नाम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादपत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट–ग उल्लिखित विवरण युक्त सम्पत्ति खसरा सं0–460 रकबई 0.101, खसरा सं0–461 रकबई 0.243, खसरा सं0–464 रकबई 0.046, खसरा सं0–465 रकबई 0.239, खसरा सं0–491 रकबई 0.158, खसरा सं0–494 रकबई 0.040 है0, कुल 0.827 है0 स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामी प्रतिवादी स0–3 विकास मेडिकोज प्रा0 लि0 कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा निदेशक खालिद मसूद एवं मोहम्मद उमर फारूक के स्थान पर अनुबंध दिनांक 29.03.2017 से वादी फर्म मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर मालिक व काबिज हैं तथा संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त गाटा संख्याओं में विकास मेडिकोज प्राईवेट लि0 के स्थान पर मैप्पल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला बाईपास, संभल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मोहम्मद अबू बकर मंसूर का नाम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैप्पल इन्फ्रा वादी सं0–1 को

वादपत्र में वर्णित परिशिष्ट–क,ख,ग उल्लिखित सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी रहेगी और उसे प्रश्नगत सम्पत्तियों की बाबत समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। वह जैसे चाहे प्रश्नगत सम्पत्तियों का उपयोग व उपभोग करे एवं विक्रय आदि करे तथा प्रश्नगत सम्पत्तियों के संबंध में किसी भी सरकारी व गैर सरकारी वित्तीय संस्था बैंक आदि में बंधक कर ऋण आदि प्राप्त करें। मैप्पल इन्फ्रा एवं प्रतिवादीगण 1,2,3 व 4 अनुबंध/पार्टनरशिप डीड दिनांक 29.03.2017 के अनुसार सम्पत्तियों के संबंध में विक्रय आदि करने के पश्चात वर्णित लाभांश अनुसार अपने–अपने अंश की धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। खर्चा मुकदमा वादीगण व प्रतिवादीगण अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है। अतः प्रस्तुत वाद समझौते के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

प्रस्तुत मूलवाद संधिपत्र कागज सं0–21क में वर्णित शर्तों के आधार पर निर्णीत किया जाता है।

संधिपत्र के आधार पर पारित डिक्री से किसी तृतीय व्यक्ति के हित व विधिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे तथा संधिपत्र मात्र संधिपत्र के पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखेगा। उक्त आदेश का घोषणात्मक प्रभाव नहीं होगा तथा इस संधिनामें के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में न तो कोई विधिक हित सृजित होगा और न ही समाप्त होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में इस संधिपत्र के बावत किसी विधि का उल्लघंन होना अथवा किसी तृतीय पक्ष का हित प्रभावित होना अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य का छिपाया जाना पाया जाता है तो यह संधिपत्र प्रारंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी माना जायेगा।

तद्नुसार डिक्री तैयार की जाये। संधिपत्र डिक्री का भाग होगा। उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

20/01/2020

(अभय प्रताप सिंह–द्वितीय)
सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद।
जे0आो0 कोड–यू0पी0 1815

Photostate by technician
Compared by Kaushal Kishor
40.A.1800

प्रतिलिपि
03-2-2020
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

27/03-2-2020

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी० डि०), मुरादाबाद
CNR No_UPMO-05_00031322019
मूलवाद सं० - 164/2019
मैप्पल इन्फ्रा आदि
बनाम
ए-वन होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदि।

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग न्यायालय मुरादाबाद

नकल - वाद-पत्र

सत्यापित

27
3-2-2020

सूचना पत्र संख्या व दिनांक.......... 03 FEB 2020

नोटिस का दिनांक.......... 03 FEB 2020

नकल देने का दिनांक.......... 03 FEB 2020

प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर..........

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय, मुरादाबाद

मूल वाद स 165/2019

1— मैप्पल इन्फ्रा (Mapple Infra) कार्यालय स्थित पंडित नंगला वाईपास, सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मौहम्मद अबू बकर मंसूर

2— मौहम्मद अबु बकर मंसूर आयु 57 वर्ष वलद श्री मौहम्मद राशिद स्वयं व बहैसियत पार्टनर मैप्पल इन्फ्रा स्थित पंडित नंगला वाईपास,सम्भल रोड, मुरादाबाद। ......वादीगण

बनाम

1— ए—वन होम्स प्राइवेट लिमिटेड (A-One Homes Pvt. Ltd.) वर्तमान कार्यालय पंडित नंगला वाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद एवम् पंजीकृत कार्यालय बी—45, अब्दुल फजल एन्कलेब पार्ट द्वितीय टोकर नं0 7 शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला (नई दिल्ली)

द्वारा — निदेशक खालिद मसूद एवं निशात मंसूर

2— मरकरी होम्स प्राइवेट लिमिटेड (Mercury Homes Private Ltd.) वर्तमान कार्यालय पंडित नंगला वाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद एवम् पंजीकृत कार्यालय ई—37 ग्राउण्ड फ्लोर शाहिन बाग, अब्दुल फजल एन्कलेव पार्ट—2 जामिया नगर, ओखला नई दिल्ली द्वारा निदेशक मौहम्मद उमर फारूक एवं अहमद जकरिया।

3— विकास मेडिकोज प्रा0लि0 (Vikas Medicos Pvt. Ltd.) कार्यालय पंडित नंगला, वाई पास, सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा निदेशक खालिद मसूद एवं मौहम्मद उमर फारूक ।

4— इंडिया मर्चेनडाइसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (India Merchandising Corporation Ltd.) कार्यालय खसरा नं0 514/2 पण्डित नंगला मुरादाबाद। द्वारा निदेशक अहमद जकरिया ....प्रतिवादीगण

श्रीमान जी,

वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

1— यह कि वाद पत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट (क) एवं (ख) एवं (ग) उल्लिखित प्रश्नगत सम्पत्तियां रिक्त हरथला एहतमाली, तहसील व जिला मुरादाबाद के पूर्व स्वामी क्रमशः परिशिष्ट (क) उल्लिखित सम्पत्ति के पूर्व स्वामी प्रतिवादी सं0—1 एवन होम्स प्राइवेट लिमिटेड तथा परिशिष्ट (ख) उल्लिखित सम्पत्ति के स्वामी प्रतिवादी सं0 2 मरकरी होम्स प्राइवेट लि0 एवम् परिशिष्ट (ग) उल्लिखित सम्पत्ति के स्वामी प्रतिवादी सं0—3 विकास मेडिकोज प्रा0लि0 थे और संयुक्त रूप से व पृथक—पृथक अपने अपने अंशानुसार काबिज व दखील चले आते थे तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज विधिवत दर्ज चला आता है।

2— यह कि प्रतिवादी सं0—4 कम्पनी का उददेश्य रिक्त भूमि को कालौनी के रूप में विकसित करने तथा उसे क्रय व विक्रय करना इस उददेश्य से प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 के स्वामित्व वाली तथा परिशिष्ट ''क'', ''ख'' व ''ग'' में वर्णित भूमि का विकास अनुबन्ध के तहत प्रतिवादी सं0—4 द्वारा किया गया है तथा काफी धनराशि निवेश करके इसे एक कालोनी के रूप में विकसित किया है।

3— यह कि वादी सं0 – 2 व प्रतिवादीगण 1 ता 4 के निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से वादी सं0—1 मैप्पल इन्फ्रापार्टनर शिप फर्म का गठन दिनांक 29—03—2017 को किया जिसका उददेश्य रियल एस्टेट में डबलपमेन्ट कोलोनाईजर, कोन्ट्रेक्टर, बिल्डर एण्ड सेल परचेज के माध्यम से व्यापार करने हेतु सम्पत्तियों को क्रय—विक्रय करना था।

4— यह कि वादी सं0 – 2 व अन्य पार्टनर तथा प्रतिवादी सं0 1, 2, व 3 ने वादी सं0—1 फर्म में अपने—अपने अंशो का निर्धारण किया तथा पूंजी निवेश के प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 द्वारा अपनी अपनी प्रश्नगत भूमि वर्णित परिशिष्ट (क) (ख) (ग) की कीमत का मूल्यांकन कर प्रश्नगत सम्पत्तियों का समावेश मैपल इन्फ्रा वादी सं0—1 में कर दिया और कब्जा व दखल भी प्राप्त करा दिया है इस प्रकार समावेश की दिनांक व समय से मैसर्स मैपल इन्फ्रा वाद पत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट (क) (ख) (ग) सम्पत्तियों की स्वामी हो गयी और प्रतिवादीगण की प्रश्नगत सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध एवं

ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का स्वामित्व सम्बन्धी नहीं रहा ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0–4 द्वारा भी प्रश्नगत सम्पत्तियों को विकसित करने एवं विक्रय योग्य बनाने में धनराशि व कीमती समय का निवेश / खर्च किया गया , को वादी सं0–1 फर्म में सभी अधिकार समायोजित कर अंशों के अनुसार समावेशित किया गया ।

5– यह कि प्रतिवादीगण ने अपने निदेशकगण द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन दिया कि प्रश्नगत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उनके नाम के स्थान पर वादी सं0–1 फर्म को राजस्व अभिलेखों में नाम का इन्द्राज बहैसियत मालिक कराने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें प्रतिवादीगण आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु लिखित सहमति देने को बाध्य रहेंगे प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6– यह कि व्यापार की व्यस्तता के कारण वादी सं0–2 ने सम्बन्धित अभिलेखों में वादी सं0–1 फर्म के मालिक होने के पश्चात एवं सद्भावी स्वामी होने के कारण, नाम का इन्द्राज कराने हेतु कोई ध्यान नहीं दिया तथा प्रतिवादीगण के निदेशकगणों पर पूर्ण विश्वास किया लेकिन वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आने के कारण तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की निर्मित विकसित कालोनियों के सम्पर्क होने के कारण सम्पत्ति की वैल्यू (बढ़ने) अर्थात अधिक होने की वजह से प्रतिवादीगण फर्म के निदेशकों के मन में अधिक लाभ अर्जित करने के उददेश्य से राजस्व अभिलेखों में वादी सं0 1 फर्म का नाम द्वारा पार्टनर दर्ज कराने में लापरवाही पूर्वक टाल मटोल करते रहे और दिनांक 02–09–2018 को वादी सं0 1 फर्म के नाम का इन्द्राज कराने हेतु सहमति देने से इंकार कर दिया।

7– यह कि दिनांक 07–09–2018 को समय करीब 12:00 बजे दिन जब वादी सं0–2 प्रश्नगत सम्पत्ति पर भराव डलवाकर समतल करा रहा था तब प्रतिवादीगण 1 ता 3 के निदेशक खालिद मसूद, मौहम्मद उमर फारूक व अहमद जकरिया प्रश्नगत सम्पत्ति पर आये और अपने साथ आये अन्य लोगों को प्रश्नगत भूमि दिखाकर विक्रय करने हेतु सौदे बाजी करने लगे

तथा भूमि को समतल कर रहे मजदूरों का कार्य करने से रोकने की कोशिश की । वादी सं0–2 के काफी समझाने के बावजूद सुनवा नहीं हुये और अति शीघ्र प्रश्नगत सम्पत्ति को विक्रय कर कब्जा व दखल हस्तांतरित करने की धमकी देते हुये चले गये जबकि प्रतिवादीगण का प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 की सम्पत्ति की हैसियत से प्रश्नगत सम्पत्ति को विक्रय करने व राजस्व अभिलेखों के नाम का इन्द्राज बने रहने का कोई अधिकार विधिक दृष्टि से नहीं है ना ही हो सकता है। वादी सं0 1 फर्म के गठन होने की दिनांक से अपने अंशों के अनुसार वादी सं0–2 तथा प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 व 4 वादी सं0–1 मैपल इन्फ्रा में अपने अंशों के अनुसार पार्टनर की हैसियत से स्वामी है और प्रश्नगत सम्पत्ति वर्णित परिशिष्ट क व ग को मैपल इन्फ्रा के पार्टनर की हैसियत से विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है तथा विक्रय धन को प्राप्त करने का अधिकार वादी सं0–1 फर्म को हे। ऐसी दशा में वादीगण के प्रस्तुत वाद को योजित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है मजबूरन वादीगण नालिशी है।

8– यह कि प्रश्नगत सम्पत्ति मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमाओं के अन्तर्गत महानगर योजना जो वर्ष 2013 से राज्य सरकार द्वारा प्रभावी है के अन्तर्गत आवासीय है तथा नगर निगम, मुरादाबाद की सीमाओं में है इसके अतिरिक्त धारा 143 के अन्तर्गत उपयोग में आकृषिक हो चुका है और वर्तमान में आवासीय है।

9– यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 व 4 वादी सं0–1 व वादी सं0–2 फर्म के गठन के समय से बरावर बहैसियत पार्टनर चले आते हैं और फर्म में होने वाले लाभांश में अपने–अपने अंशों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति में उनके अधिकार थे और वादी फर्म में पार्टनर होने के कारण भी पहले से अधिकार निहित है ।

10– यह कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टतया है । चूँकि वादी सं0–1 फर्म प्रश्नगत सम्पत्तियों पर काबिज व दखील व बहैसियत मालिक है तथा अपनी सुविधा से प्रश्नगत सम्पत्तियों का उल्लेख बाउन्ड्री वाल आदि बनाकर लगातार करती चली आ रही है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी

वादीगण के हक में सिद्ध व साबित है यदि प्रतिवादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति को बिना मालिकाना हक के विक्रय करने में सफल हो गये तो वादीगण के कब्जे व दखल में अनावश्यक हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास करेंगे ऐसी दशा में प्रतिवादीगण को निषिद्ध नहीं किया गया तो वादीगण का वाद योजित करने का उददेश्य समाप्त हो जायेगा एवं वादीगण की असीम हानि पहुँचेगी जिसकी गणना व क्षतिपूर्ति धन से होना सम्भव न होगा तथा वादी फर्म के नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में न होने से भी वादीगण को नुकसान होगा।

11— यह कि वाद का कारण सर्वप्रथम प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 व 4 के परिशिष्ट (क) (ख) एवं (ग)में उल्लिखित सम्पत्तियों का स्वामी होने तथा दिनांक 29—03—2017 को वादी सं0 1 फर्म का गठन होने पर प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 व 4 द्वारा वादी सं0 1 फर्म में पूंजी निवेश हेतु सम्पत्तियों की कीमत का निर्धारण कर पूंजी के रूप में वादी सं0 1 फर्म में निवेश करने तथा प्रश्नगत सम्पत्तियों का कब्जा व दखल वादी सं0 — 1 फर्म को प्रदान करने तथा वादी सं0—1 फर्म के बहैसियत साझेदार मालिक होने के कारण राजस्व अभिलेखों में नाम व इन्द्राज कराने का अधिकार होने तत्पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमाओं के निकट आने तथा प्राधिकरण की कालोनी के विकसित होने के कारण प्रश्नगत सम्पत्ति की वैल्यू अधिक होने की वजह से लालचवश अधिक लाभ अर्जित करने की वजह से दिनांक 02—09—2018 को राजस्व अभिलेखों में वादी फार्म के नाम के अभिलेखों में इन्द्राज करने के सम्बन्ध में सहमति देने से इंकार करने तथा समझाने के बावजूद सुनवा ना होने तथा दिनांक 07—09—2018 को अन्तिम मर्तबा प्रतिवादीगण के निदेशक द्वारा समय 12 बजे दिन अपने साथ अन्य व्यक्तियों को ले जाकर प्रश्नगत सम्पत्ति को विक्रय करने का सौदा करने तथा मजदूरी द्वारा समतल की जा रही भूमि के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर तथा अति शीघ्र प्रश्नगत सम्पत्ति को विक्रय करने व कब्जा व दखल हस्तान्तरित करने की धमकी देने पर न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उत्पन्न हुआ न्यायालय श्रीमान जी को वाद के श्रवण एवं निर्णीत करने का अधिकार प्राप्त है।

12— यह कि वाद का मूल्यांकन बावत अनुतोष (अ) हेतु अंकन रु0 ०००००/- पर किया जाकर एवं बावत अनुतोष (ब) हेतु अंकन रु0 ०००००/- रूप्ये पर किया जाकर नियमानुसार अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

13— यह कि वादीगण निम्नलिखित अनुतोष पाने के अधिकारी हैं।

(अ) यह कि बजरिये डिक्री घोषणात्मक बाहक वादी सं0 1 व बर खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि वाद पत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट (क) (ख) (ग) स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद के स्वामीगण ए–वन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड विकास मेडिकोज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वादी सं0–1 फर्म के गठन में पूंजी निवेश हेतु प्रश्नगत सम्पत्तियों की कीमत लगाकर अपने अंशानुसार निवेश करने के कारण एवम् प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा व दखल वादी सं0–1 फर्म को देने का कारण दिनांक 29–03–2018 से वादी सं0–1 फर्म मैपल इन्फ्रा प्रश्नगत सम्पत्तियों की स्वामिनी है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण ए–वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड, मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड एवं विकास मेडिकोज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक के स्थान पर मैसर्स मैपल इन्फ्रा कार्यालय स्थित पंडित नंगला वाईपास सम्भल रोड, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर मौहम्मद अबू बकर मंसूर को नाम अंकित करने का पूर्ण अधिकार है तथा वादी सं0–2 व प्रतिवादीगण 1 ता 4 अपने–अपने अंशानुसार लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

ब— यह कि बजरिये डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बाहक वाद सं0 1 व विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 3 में पारित की जाकर प्रतिवादीगण को निषिद्ध किया जावे कि वाद पत्र के अंत में वर्णित परिशिष्ट (क) (ख) एवं (ग) वर्णित सम्पत्तियां स्थित ग्राम हरथला एहतमाली, तहसील व जिला मुरादाबाद को प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने एजेन्टों एवं अन्य किसी भी प्रकार से प्रश्नगत सम्पत्तियों को अथवा उसके अंश भाग को विक्रय कर हस्तांतरित करने से बाज रहें एवं प्रश्नगत सम्पत्तियों पर वादी सं0–1 के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप कर बनी बाउण्ड्री वाल को क्षति ना पहॅुचाये और

सम्पत्ति को विक्रय करने एवं सम्बन्धित सरकारी / गैर सरकारी/ निकायों से अनापत्ति /स्वीकृति प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न न करे और न कराये।

स– यह कि वाद का व्यय प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे।

द– अन्य कोई अनुतोष जो कि राय अदालत में बाहक वादीगण उचित हो दिलाया जावे।

परिशिष्ट–क

विवरण प्रश्नगत सम्पत्ति प्रतिवादी सं0–1, ए–वन होम्स प्राईवेट लिमिटेड स्थित ग्राम हरथला एहतमाली, तहसील व जिला मुरादाबाद

खसरा नं0	रकबा है0
315	0.008
317	0.206
461	0.119
473	0.270
495	0.229
466	0.107
~~467~~	~~0.048~~
कुल	0.9[illegible] है0

परिशिष्ट (ख)

विवरण प्रश्नगत सम्पत्ति प्रतिवादी सं0–2, मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड स्थित ग्राम हरथला एहतमाली, तहसील व जिला मुरादाबाद

खसरा नं0	रकबा है0
460	0.243
471	0.023
474	0.251
475	0.174
476	0.215
477	0.010
483	0.003
490	0.002
467	0.0[illegible]
491	0.052
कुल	[illegible]

परिशिष्ट (ग)

विवरण प्रश्नगत सम्पत्ति प्रतिवादी सं0 – 3 विकास मेडिकोज प्रा0लि0 स्थित ग्राम हरथला एहतमाली, तहसील व जिला मुरादाबाद

खसरा नं0	रकबा
460	0.101
461	0.243
464	0.076
465	0.239
491	0.158
494	0.040
कुल	0.827 है0

वादीगण

मैपल इन्फ्रा आदि

Sarvesh Kumar Rajput
Advocate
Chamber No. 205 Moradabad
Mob. 9837452776

मैं मौहम्मद अबू बकर पार्टनर मैपल इन्फ्रा वाद पत्र के पैरा नं0 1 ता 11 को अपने निजी ज्ञान व साक्ष्य एवं पैरा सं0 12 व 13 को कानूनी सलाह से सच व सही होना आज दिनांक 5/1/19 .... को कचहरी मुरादाबाद में सत्यापित करता हूँ

Photostate by technician
Compared by kaushal kishor
W.A. 1200

Rajani
03-1-2020
प्रतिलिपिक
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद